UPSR010001012018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

एन०डी०पी०एस० विशेष वाद संख्या–02/2018

उत्तर प्रदेश राज्य --------अभियोगी/वादी।

बनाम

राकेश यादव उर्फ खोइलन पुत्र सहजराम यादव,

निवासी खनपुरवा, दा० खैरीकला, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

--------विपक्षी/अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–5140/2017

धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना– थाना गिलौला, जनपद–श्रावस्ती।

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकरण पुलिस चालानी रिपोर्ट पर आधारित है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 27.11.2017 को वादी एस०एच०ओ० मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह एस०आई० राम कुमार वर्मा, कां० आकाश गौतम, कां० विजय कुमार यादव मय वाहन सरकारी यू०पी० 46 जी० 0129 चालक संजीव यादव देखभाल क्षेत्र/भ्रमण/तलाश वांछित वारंटी हेतु मामूर थे कि कस्बा गिलौला में एस०पी० स्पेशल टीम के एस०आई० यशवन्त किर्णेन्द्र चौधरी मय हमराह कां० प्रभुनाथ यादव, कां० अरुण कुमार यादव मय वाहन सरकारी यू०पी० 46 जी० 0098 मिले। हम लोग अपराध के रोकथाम व अपराधियों के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तु लिए तिलकपुर मोड़ पर बैठा है तथा साधन की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि जल्दी किया जाए, तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके आपस में वार्ताकर मुखबिर को साथ लेकर तिलकपुर मोड़ पर पहुंचा कि लक्ष्मननगर जाने वाले रास्ते के बायें किनारे लगे ठेले के पास व्यक्ति की ओर इशारा कर मुखबिर आगे बढ़ गया। मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के निकट पहुंचकर

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.06.11 16:58:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसे टोका गया, तो वह व्यक्ति हम पुलिसवालों को अपने निकट देखकर अचानक हड़बड़ा गया। उक्त व्यक्ति से हड़बड़ाने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि उसके पास गांजा है, इसलिये आप लोगों को देखकर हड़बड़ा गया था। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा गया, तो उसने अपना नाम राकेश यादव उर्फ खुइलन पुत्र सहजराम यादव, निवासी खनपुरवा, दा० खैरीकला, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती बताया। उक्त राकेश यादव उर्फ खुइलन से तलाशी हेतु किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चलने को कहा गया, तो उसने कहा कि जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है, तो तलाशी भी आप ही ले लें। राकेश यादव से बाद बनवाने सहमति पत्र अंतर्गत धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट पास रखे बोरी का मुंह खोलकर सूंघा, सुंघाया व देखा दिखाया गया, तो बोरी में गांजा भरा हुआ था, जिसे तराजू व बाट से तौला गया, तो उसका कुल वजन 4 किलो 500 ग्राम निकला। राकेश यादव उर्फ खुइलन से उक्त गांजा रखने के सम्बन्ध में वैध कागजात तलब किया गया, तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त उपर्युक्त का यह कार्य अंतर्गत धारा 8/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 16.50 बजे हिरासत में लिया गया तथा बरामद गांजा को कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामद गांजा में से 100 ग्राम गांजा नमूना हेतु निकालकर एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा शेष गांजा को अभियुक्त के पास से बरामद गांजा की बोरी, जिस पर अंग्रेजी में MAHARAJA Premium TOOR DAL लिखा है, में रखकर सीलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के तमाम लोग व राहगीर एकत्रित हो गए, जिनसे गवाही हेतु कहा गया, तो भलाई बुराई की बातें करते हुए चले गए। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना जरिए को० भिनगा अभियुक्त के परिजन को अकब से दी जाएगी। फर्द मौके पर उ०नि० राम कुमार वर्मा से बोलकर प्रकाश व टार्च की रोशनी में लिखवाया गया। फर्द पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी।

3– पत्रावली में संलग्न फर्द ए –3/3 प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना गिलौला में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या – 5140/2017, धारा – 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट दिनांक–27.11.2017 को समय 19.40 बजे पंजीकृत किया गया।

4– मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हवलदार यादव द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए वादी व अन्य साक्षीगण का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। घटनास्थल की नक्शा–नजरी कागज संख्या ए –5 प्रदर्श क–7 तैयार किया एवं पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में आरोप पत्र कागज संख्या ए–4/1 ता ए–4/2 प्रदर्श क–8 न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

5– न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात तत्कालीन सत्र न्यायाधीश , श्रावस्ती द्वारा दिनांक– 27.01.2018 को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (14वां वित्त आयोग), श्रावस्ती द्वारा दिनांक–15.09.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– राज्य की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए पत्रावली में पी०डब्लू०–1 निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय (वादी), पी०डब्लू० 2 उ०नि० राम कुमार वर्मा (हमराह/फर्द लेखक), पी०डब्लू० 3 उपनिरीक्षक यशवन्त किर्णेन्द्र चौधरी (हमराह), पी०डब्लू० 4 मुख्य आरक्षी शोभाराम (चिक राइटर) व पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हवलदार यादव (विवेचक) को परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय ने फर्द बरामदगी कागज संख्या ए–3/3 को प्रदर्श क–1 के रूप में, कागज संख्या ए–7 सहमति पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप, कागज संख्या ए–8 फर्द जामा तलाशी को प्रदर्श क–3 के रूप में व कागज संख्या बी–11/5 अभियुक्त के गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–4 के रूप में व अभियुक्त के पास से बरामदशुदा माल को वस्तु प्रदर्श क –1 के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू० 4 चिक राइटर मुख्य आरक्षी शोभाराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या ए–3/1 ता ए–3/2 को प्रदर्श क–5 के रूप में व कायमी जी०डी० कागज संख्या बी–12/9 को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू० 5 विवेचक हवलदार यादव ने नक्शा नजरी कागज संख्या ए–5 को प्रदर्श क–7 के रूप में, आरोप पत्र कागज संख्या ए–4/1 ता ए–4/2 को प्रदर्श क–8 के रूप में व माल परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या ए–35/1 को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व झूठा बयान देने का कथन किया तथा बरामदगी से इन्कार किया है व मुकदमा फर्जी बरामदगी दर्शाते हुए झूठा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त ने कहा है कि वह निर्दोष है। उसे पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया है।

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नलिखित हैः–

10– पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 27.11.2017 को वे बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना गिलौला पर नियुक्त थे कि उक्त दिवस को वे व उनके हमराहियान उ०नि० रामकुमार वर्मा व कां० आकाश गौतम, कां० विजय कुमार यादव मय सरकारी वाहन बोलेरो यू०पी० 46 जी०–0129 मय चालक संजीव यादव के साथ देखभाल क्षेत्र भ्रमण तलाश वांछित वारण्टी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि कस्बा गिलौला में एस०पी० स्पेशल टीम के उ०नि० यशवन्त क्रिर्णेन्द चौधरी मय हमराह का० प्रभुनाथ यादव, यादव का० अरूण कुमार यादव मय सरकारी वाहन यू०पी० 46 जी0–0098 के मिले थे और हम लोग अपराध रोकथाम व अपराधियो के सम्बन्ध में बात कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तुयें लिये तिलकपुर मोड पर बैठा है तथा साधन की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके आपस में वार्ता कर मुखबिर को साथ लेकर वे एस०एच०ओ० मय फोर्स के साथ तिलकपुर मोड़ पर पहुंचे थे कि लक्ष्मनगर जाने वाले रास्ते के बाये किनारे लगे ठेले के पास बैठे व्यक्ति की ओर इशारा कर मुखबिर आगे बढ गया था। मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के निकट पहुंच कर उसे टोका गया तो उक्त व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अचानक हड़बड़ा गया। उक्त व्यक्ति से हड़बड़ाने का कारण पूछा गया था तो उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उसके पास गांजा है इसलिये आप लोगों को देखकर हड़बड़ा गया था। उक्त व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम राकेश यादव उर्फ खोइलन पुत्र सहजराम यादव निवासी खनपुरवा दा० खैरीकला थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती बताया था। राकेश यादव से तलाशी हेतु किसी राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट के समक्ष चलने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो तलाशी आप लोग ही ले लिजिए। राकेश यादव से तलाशी के सम्बन्ध में सहमति पत्र देने के उपरान्त जामातलाशी की फर्द तैयार करके सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर

बनवाये गये थे। तत्पश्चात उसके पास से बरामद बोरी का मुह खोल कर सूघा व सूघाया गया तथा देखा व दिखाया गया तो बोरी में गांजा भरा हुआ था, जिसे तराजू व बाट से तौला गया तो उसका कुल वजन 04 किलो 500 ग्राम गांजा निकला था। राकेश यादव उपर्युक्त से गांजा रखने के सम्बन्ध में वैध कागज तलब किया गया तो कागज नहीं दिखा सका था। चूंकि अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का दण्डनीय अपराध है। अपराध बताकर समय करीब 16.50 बजे हिरासत में लिया गया था तथा बरामद गांजा को कब्जा पुलिस में लेकर बरामद गांजा में से 100 ग्राम नमूना हेतु निकालकर एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था तथा शेष माल को अभियुक्त उपरोक्त से बरामद गांजा की बोरी में जिसमें अग्रेजी में महराजा प्रिमियम टूर दाल लिखा था, रखकर सिलवाकर सर्व मोहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के तमाम लोग आ जा रहे थे व एकत्रित हो गये थे, जिनसे गवाही के लिये कहा गया था तो भलायी बुरायी के डर से वहां से हट बढ़ गये थे। दौरान गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा –निर्देशों/आदेशों का भली भांति पालन किया गया था। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन बड़कउ उर्फ राजेश को कोतवाली भिनगा द्वारा दी गयी थी। फर्द मौके पर उ०नि० राम कुमार वर्मा से बोल कर प्रकाश व टार्च की रोशनी में लिखवाया गया था। फर्द पढ़कर, सुनाकर सभी सम्बन्धित के आलामात बनवाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 3/3 फर्द बरामदगी है जो उनके द्वारा बोल–2 कर उ०नि० रामकुमार वर्मा से लिखवाया गया था, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–7 सहमति पत्र है जो उनके द्वारा बोल –बोलकर उ०नि० रामकुमार वर्मा से लिखवाया था, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–8 फर्द जामा तलाशी है जो उनके द्वारा बोल–बोलकर उ०नि० रामकुमार वर्मा से लिखवाया गया था, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या बी–11/5 गिरफ्तारी मेमो है जो उनके द्वारा मौके पर तैयार किया गया था। जो उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर अभियुक्त का निशानी अंगूठा लगा है, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर माल व मुल्जिम को स्थानीय थाना लाकर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या –5140/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया था। न्यायालय

की अनुमति से माल मुकदमाती आज न्यायालय के समक्ष पेश हुआ व माल मुकदमाती न्यायालय पर खोला गया तो साक्षी ने माल मुकदमाती/गांजा को देखकर कहा कि यह वही माल है जिसे उसने अभियुक्त राकेश यादव उर्फ खोइलन से तलाशी के दौरान बरामद किया था, जिस पर वस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया। विवेचक ने उनका बयान लिया था।

11– पी०डब्लू० 2 उ०नि० राम कुमार वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 27.11.2017 को वे बतौर SI के पद पर तैनात थे। उस दिन वे तथा उनके प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय मय हम हमराहियान कां० आकाश गौतम, का० विजय कुमार यादव सरकारी वाहन मय चालक संजीव यादव के साथ देखभाल क्षेत्र भ्रमण वांछित तलाश वारण्टी क्षेत्र मे मामूर थे। कस्बा गिलौला में SP स्पेशल टीम के उ०नि० यशवंत क्रिणेन्द्र चौधरी मय हमराहियान का० प्रभुनाथ यादव कां० अरूण कुमार यादव मय सरकारी वाहन मिले थे। प्रभारी निरीक्षक व स्पेशल टीम के द्वारा अपराध व अपराधियों की रोकथाम के संम्बंध में बात चीत कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय को मिली कि एक व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तु लिये तिलकपुर मोड पर बैठा है तथा साधन के इंतजार में है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। तभी मुखबिर को साथ लेकर मय हमराहियान फोर्स के साथ तिलकपुर मोड़ पर पहुंचे तो लक्ष्मण नगर जाने वाले रास्ते के बाँये किनारे पर ठेले के पास बैठे व्यक्ति पर इशारा कर के चला गया। पुलिस के लोग उसके पास गये। उसे टोका गया तो वह व्यक्ति पुलिस वालों को देख कर घबरा गया। उससे घबराने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि साहब उसके पास गाँजा है। इसलिये आप लोगों को देख कर घबरा गया। प्रभारी निरीक्षक द्वारा उसका नाम पूँछा गया तो उसने अपना नाम राकेश यादव उर्फ खोईलन पुत्र सहजराम यादव नि० खनपुरवा दा० खैरीकला थाना भिन्गा जिला श्रावस्ती बताया था। अभियुक्त से तलाशी हेतु प्रभारी निरीक्षक द्वारा राजपत्रित अधिकारी के सामक्ष तलाशी के लिये कहा गया था तो उसने कहा कि जब साहब आप लोगों ने पकड़ लिया है तब आप लोग ही मेरी तलाशी ले ले। पकड़े गये व्यक्ति से तलाशी के सम्बंध में प्रभारी नि० द्वारा सहमति पत्र लेने के उपरांत हम पुलिसवाले एक दूसरे की जाम तलाशी लेने के बाद पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी लिया गया जो उसके पास से बोरी बरामद हुई, जिसका मुह खोल कर देखा व दिखाया गया तो बोरी मे गाँजा भरा हुआ था, जिसे तराजू व बाट से तौला गया तो उसका कुल वजन 4.500 कि०ग्रा० निकला। राकेश यादव उपरोक्त से बरामद गाँजा के सम्बंध में वैध कागजात माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त उपरोक्त का यह कार्य अंतर्गत धारा – 8/20

एन०डी०पी०एस० एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 16:50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गाँजा को कब्जा पुलिस में लिया गया था। बरामद गाँजा में से 100 ग्राम नमूना हेतु निकाल कर एक कपड़े में रख कर सिल कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा शेष माल गाँजा को अभियुक्त के पास से बरामद गाँजा की बोरी जिस पर अग्रेजी मे महाराजा प्रीमियम तूर दाल लिखा है, में रख कर सील कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर जनता के तमाम लोग व राहगीर इकट्ठा हो गये। उनसे गवाही के लिये कहा गया तो भलाई–बुराई की बात करते हुये चले गये। दौरान गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के भाई बड़कऊ उर्फ राजेश को थाना को० भिन्गा द्वारा दिया गया था। फर्द मौके पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा बोल–2 कर प्रकाश व टार्च की रोशनी मे उनके लिखवाया गया था। फर्द लिख कर सभी को पढ़कर सुना कर सर्व सम्बंधित के आलामात बनावाये गये थे। फर्द की एक प्रति मौके पर अभियुक्त को मौके पर दिया गया था। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के बाद माल मय मुल्जिम को थाना गिलौला लाया गया था तथा फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई गई थी। विवेचक ने उनका बयान लिया था।

12– पी०डब्लू० 3 उपनिरीक्षक यशवन्त किर्णेन्द्र चौधरी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 27.11.2017 को वे जनपद श्रावस्ती की एस०ओ०जी० में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उस दिन वे तथा एस०एच०ओ० गिलौला मनोज कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही एस०आई० रामकुमार वर्मा, कां० आकाश गौतम, कां० विजय कुमार यादव मय सरकारी वाहन यू०पी० 46 जी० 0129 चालक संजीव यादव के साथ गिलौला में मिले। वे लोग आपस में अपराध व अपराधियों के सम्बंध मे वार्ता कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर वे उपनिरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक मनोज पाण्ड़ेय व हमराहियों के साथ तिलकपुर मोड़ पर मय मुखबिर के साथ पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मननगर जाने वाले के रास्ते के बाएं किनारे लगे ठेले के पास बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करके मुखबिर चला गया। मुखबिर के बताये व्यक्ति के पास पहुंच कर उसे टोका गया तो वह हम लोगों को देखकर अचानक हड़बड़ा गया। हम लोगों द्वारा हड़बडाने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि हमारे पास गांजा है, इसलिए वह हड़बड़ा गया था। उससे उसका नाम पता पूछा गया था, तो उसने अपना नाम राकेश यादव उर्फ खोइलन पुत्र सहजराम निवासी खनपुरवा दा० खैरी कला थाना भिनगा जिला श्रावस्ती बताया था। मौके पर एस०एच०ओ० द्वारा तलाशी लेने के सम्बंध में अभियुक्त से

बताया गया था कि तुम्हारा ये विधिक अधिकार है कि तुम्हारी तलाशी किसी राजपत्रिक अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी है, तो अभियुक्त द्वारा बताया गया था कि जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो आप लोग ही तलाशी ले लीजिए। तब हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिया था और हम लोगों के पास से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नही हुयी थी। अभियुक्त की सहमति पर मौके पर एस०एच०ओ० द्वारा बोल बोल कर सहमति पत्र उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा से लिखवाया था। सहमति पत्र पर अभियुक्त ने अपना निशानी अंगूठा लगाया तथा एस०एच०ओ० साहब ने अपना हस्ताक्षर बनाया था। इसके बाद एस०एच०ओ० साहब द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक बोरी में गांजा बरामद हुआ बोरी का मुंह खोलकर हम लोगों ने सूंघा व सुंघाया था जो गांजा था। बरामदशुदा गांजे को थोड़ी दूर से तराजू बाट मंगाकर मौके पर एस०एच०ओ० महोदय द्वारा तोल कराया गया था तो गांजे का कुल वजन 04.500 ग्राम निकला था। अभियुक्त से गांजा रखने के सम्बंध में कागजात मांगा तो नही दिखा सका था। अभियुक्त का यह कार्य धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट का दंडनीय अपराध बताकर समय करीब 16.50 बजे हिरासत में लिया गया था तथा बरामद गांजे को भी कब्जा पुलिस मे लिया गया था। बरामद गांजे में से 100 ग्राम गांजा नमूना हेतु अलग निकालकर अलग कपड़े में सील सर्व मोहर किया गया था तथा शेष गांजे को बरामद गांजे की बोरी में रखकर सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर अलग अलग तैयार किया गया था। मौके पर जनता के तमाम लोग व राहगीर इकट्ठा हो गये थे जिनसे गवाही के लिए कहा गया तो कोई गवाही के लिए तैयार नही हुआ। दौरान गिरफ्तारी व कार्यवाही माननीय सर्वोच्च एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के भाई बड़कऊ उर्फ राजेश को थाना पहुंचकर दी गयी थी। फर्द मौके पर एस०एच०ओ० द्वारा बोल बोलकर उपनिरीक्षक राम कुमार वर्मा से टॉर्च की रोशनी में लिखवाया गया था। फर्द लिखवाकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बंधित के अलामात बनवाये थे। फर्द पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर बनाया था। अभियुक्त ने अपना टॉप लगाया था। फर्द की प्रति मौके से अभियुक्त को दी गयी थी। मौके पर अभियुक्त के गिरफ्तारी प्रपत्र एस०एच०ओ० महोदय द्वारा स्वयं तैयार किया गया था, जिस पर उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के बाद माल मय मुल्जिम को थाने गिलौला लाया गया था। एस०एच०ओ० महोदय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध थाना गिलौला में रिपोर्ट दर्ज कराया था। विवेचक ने उनका बयान लिया था।

13– पी०डब्लू० 4 मुख्य आरक्षी शोभाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 27.11.2017 को वे थाना गिलौला में का० मोहर्रिर के पद पर तैनात थे। उसी दिन थाना कार्यालय के कार्य लेख पर मौजूद थे कि वादी मुकदमा मनोज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक गिलौला ने आकर एक किता फर्द बरामदगी तथा दो सर्व सील मोहर बरामद सुदा माल 4 किलो 400 ग्राम तथा नमूना माल 100 ग्राम मय एक नफर अभियुक्त राकेश यादव उर्फ खोइलन पुत्र सहजराम निवासी खनपुरवा दा० खैरी कला थाना भिनगा जिला श्रावस्ती के साथ उपस्थित है। वादी मुकदमा के फर्द के आधार पर थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर उनके द्वारा अक्षरशः बोल बोलकर कम्प्यूटर पर मौजूद का० रवि कुमार साहनी से कम्प्यूटरीकृत कराया था जो मुकदमा अपराध संख्या 5140/2017 धारा 8/20 एन०ड़ी०पी०एस० एक्ट का था। इस मुकदमें की कायमी जी०डी० रपट नम्बर 31 समय 19.40 बजे दिनांक 27.11.2017 को उनके द्वारा बोलने पर कम्प्यूटर पर मौजूद का० रवि कुमार साहनी ने कम्प्यूटरीकृत किया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 3/1 ता ए3/2 इस मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो उनके द्वारा बोलने पर कम्प्यूटर पर नियुक्त का० रवि कुमार साहनी द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने है, जिसे वे तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या बी 12/9 कायमी जी०डी० की फोटोस्टेट प्रति है जो उनके द्वारा बोलने पर का० रवि कुमार साहनी द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया गया था। कायमी जी०डी० मूल की फोटोस्टेट प्रति है, जिस पर थाना गिलौला की मोहर लगी है तथा हस्ताक्षर बना है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विवेचक ने उनका बयान लिया था।

14– पी०डब्लू० 5 विवेचक/सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हवलदार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 27.11.2017 को वे थाना गिलौला में बतौर उपनिरीक्षक तैनात थे। मु०अ०सं० 5140/2017, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट की विवेचना थाना प्रभारी के आदेश से प्राप्त किया था। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उनके द्वारा पर्चा नं० 1 किता किया गया, जिसमें उनके द्वारा नकल चिक, नकल रपट, नकल सहमति पत्र, नकल फर्द, जामा तलाशी, गिरफ्तारी मेमो, बयान एफ०आई०आर० लेखक कां० शोभाराम, बयान वादी एस०एच०ओ० मनोज कुमार पाण्डेय, बयान गवाह उपनिरीक्षक राम कुमार वर्मा, बयान गवाह कां० आकाश गौतम, बयान गवाह कां० विजय कुमार यादव व बयान अभियुक्त राकेश यादव उर्फ खोइलन अंकित किया गया। पर्चा नं० 2 दिनांक 28.11.2017 को उनके द्वारा किता किया गया, जिसमें वादी मुकदमा एस०एच०ओ०

मनोज कुमार पाण्डेय को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया। पर्चा नं० 3 दिनांक 03.12.2017 को किता किया गया, जिसमें बयान गवाह एस०आई० यशवन्त किर्णेन्द्र चौधरी, बयान गवाह कां० प्रभूनाथ यादव, बयान गवाह कां० अरुण कुमार यादव का अंकित किया गया। पर्चा नं० 4 दिनांक 11.12.2017 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त के रिमाण्ड की याचना का अंकन किया। पर्चा नं० 5 दिनांक 18.12.2017 को किता किया गया, जिसमें उनके द्वारा नमूना माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया, उसकी प्राप्ति रसीद का अवलोकन किया तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का अंकन किया गया। पर्चा नं० 6, 7, 8 व 9 रिमाण्ड से सम्बन्धित है। पर्चा नं० 10 दिनांक 23.01.2018 को किता किया गया, जिसमें परीक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है, का अंकन करते हुए अभियुक्त खोइलन उर्फ राकेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर तथा जुर्म बखूबी साबित होने पर धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। परीक्षण रिपोर्ट एस०सी०डी० के माध्यम से उनके द्वारा दिनांक 28.04.2018 को किता करते हुए परीक्षण रिपोर्ट भेजने का अंकन किया गया था। किन्ही कारणवश परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं हो पायी। दौरान मुकदमा दिनांक 08.03.2025 को एस०सी०डी० Ist उ०नि० धर्मराज के द्वारा न्यायालय प्रेषित किया गया। परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5 नक्शा नजरी व कागज संख्या ए–4/1 ता ए–4/2 आरोप पत्र है, जिसकी वे पुष्टि करते हैं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 डाला गया। परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या ए–35/1 पत्रावली में संलग्न है,जिसकी वे पुष्टि करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

15– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता डिप्टी चीफ एल०ए०डी०सी० ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि बरामदगी एवं गिरफ्तारी के वक्त वादी द्वारा एन० डी० पी० एस० एक्ट का पालन नहीं किया गया। धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट अभियुक्त को उसकी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराने का अधिकार देता है। घटनास्थल के आस पास राजपत्रित अधिकारी निवास करते हैं परन्तु अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करायी गयी। साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। इससे अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित नहीं कर सका है अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना है।

16– दौरान बहस राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट) ने यह तर्क दिया कि घटना के समय अभियुक्त के पास से 4 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ था। घटना के समय अभियुक्त को एन० डी० पी० एस० एक्ट के विधिक अधिकार के बारे में बताया गया था कि वह चाहे तो अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकता है, परन्तु अभियुक्त के इन्कार करने पर वादी ने सहमति पत्र लेकर तलाशी ली थी। अभियुक्त गांजा रखने का लाइसेंस दे पाने में असफल रहा। उक्त तथ्य अभियोजन साक्षियों के बयान से साबित है। अतः अभियुक्त को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों के तहत दण्डित किये जाने की याचना है।

17– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

18– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1– क्या मामले में अभियोजन द्वारा दिखायी गयी बरामद वस्तु गांजा है?

2– क्या दिनांक–27.11.2017 को समय करीब 16.50 बजे वादी/निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय एवं उनके हमराहियान ने अभियुक्त को स्थान लक्ष्मनपुर जाने वाले रास्ते पर, तिलकपुर मोड़, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती में 4 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के समय एन० डी० पी० एस० एक्ट के सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन किया गया?

19– न्यायालय के सामने पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मामले में अभियोजन द्वारा दिखायी गयी बरामद वस्तु गांजा है?

20– यदि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य को देखा जाये तो मौके पर मौजूद सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन करते हुये कहा है कि अभियुक्त की जामा तलाशी वादी मुकदमा मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा ली गयी, तो उसके पास से 4 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद माल में से नियमानुसार नमूना माल निकाला गया, जिसे विवेचना के दौरान विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से उसमें गांजा होने की पुष्टि हुयी। मामले के विवेचक हवलदार यादव ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जो पत्रावली में संलग्न है, को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है, जिसमें परीक्षण हेतु प्राप्त माल मुकदमा में गांजा होने की पुष्टि की गयी है। अतः मौखिक साक्ष्य की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य

से होती है। विधि अनुसार नमूना लिया जाना एवं उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना मौखिक साक्ष्य से साबित है। अतः यह तथ्य साबित होता है कि मामले में बरामद दिखायी गयी वस्तु गांजा ही है।

21– न्यायालय के सामने दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक–27.11.2017 को समय करीब 16.50 बजे वादी/निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय एवं उनके हमराहियान ने अभियुक्त को स्थान लक्ष्मनपुर जाने वाले रास्ते पर, तिलकपुर मोड़, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती में 4 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के समय एन० डी० पी० एस० एक्ट के सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन किया गया?

22– धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट अभियुक्त व्यक्ति को यह विधिक अधिकार देता है कि यदि उसके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी होनी है तो वह अपनी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देगा।

23– प्रश्नगत मामले में जैसा कि फर्द ए 3/3 में वादी ने उल्लेख किया है कि वादी ने अभियुक्त से बताया था कि उसकी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, परन्तु अभियुक्त के इंकार करने व सहमति पत्र देने पर वादी ने स्वयं ही अभियुक्त की जामा तलाशी ले ली।

24– घटना की प्राथमिकी फर्द बरामदगी कागज संख्या ए–3/3 प्रदर्श क–1 के आधार पर वादी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दर्ज करायी गयी थी। फर्द में वादी ने संक्षेप में यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त को 4 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से गांजा रखने व बेचने का लाइसेंस मांगा गया तो वह नहीं दिखा सका। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के बाद वादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

25– मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हवलदार यादव कुमार द्वारा की गयी। वे अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–5 के रूप में परीक्षित हुए हैं। उन्होंने अपने सशपथ बयान के दौरान प्रश्नगत मामले की विवेचना करना, चिक राइटर व फर्द के गवाहों का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित करना तथा वादी की निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार करना, बादहू पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करना कहा है।

26– मामले में फर्द के सभी साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुये साक्ष्य दिया है, परन्तु **जिरह में पी०डब्लू०–1 वादी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि** घटनास्थल से ब्लाक मुख्यालय व सी०एच०सी० की दूरी लगभग आधा किमी० होगी। सी०एच०सी० व ब्लाक पर राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, इसकी जानकारी मुझे पहले से थी। राजपत्रित अधिकारी को अभियुक्त के कहने पर बुलाने का प्रयास नहीं किया। धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियुक्त के अधिकारों को बताने व प्रयोग करने का अधिकार है, परन्तु अभियुक्त की सहमति प्राप्त होने पर सहमति पत्र प्राप्त कर उसकी जामा तलाशी ली जा सकती है। अभियुक्त ने सहमति पत्र स्वयं नहीं लिखा था। यह मेरे हमराह एस०आई० राम कुमार वर्मा ने लिखा था, जिस पर अभियुक्त का निशानी अंगूठा मौजूद है। **पी०डब्लू० 2 उ०नि० राम कुमार वर्मा ने जिरह में कहा है** कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभियुक्त मय माल को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया। **पी०डब्लू० 3 उ०नि० यशवन्त किर्णेन्द्र चौधरी ने जिरह में कहा है** कि मुल्जिम ने तलाशी के लिए सहमति पत्र दिया था। सहमति पत्र में अभियुक्त ने अंगूठा लगाया था।

27– उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि घटना स्थल तिलकपुर मोड़ , थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती की है। ब्लाक मुख्यालय व सी०एच०सी० में राजपत्रित अधिकारी निवास करते हैं। घटना 16.50 बजे के समय की है। अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होनी चाहिये थी। घटनास्थल से राजपत्रित अधिकारी का आवास व कार्यालय लगभग 1/2 किमी० की दूरी पर ही था, परन्तु वादी द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं करायी गयी। मात्र वादी द्वारा अभियुक्त के सहमति पत्र के आधार अभियुक्त की जामा तलाशी ले ली गयी। धारा–42 एन० डी० पी० एस० एक्ट के अनुसार यदि अभियुक्त से मादक पदार्थ की भी बरामदगी होती है तो वादी द्वारा उसकी सूचना 72 घण्टे के अन्दर अपने उच्चाधिकारियों को दी जानी चाहिए परन्तु उच्चाधिकारियों को 72 घण्टे के अन्दर सूचना दी गयी इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया इसका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है न तो कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल किया है। फर्द के साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं करायी गयी है। मात्र अभियुक्त से सहमति पत्र प्राप्त करके उसकी जामा तलाशी ले ली गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि

अभियुक्त की गिरफ्तारी के वक्त एन० डी० पी० एस० एक्ट में उपबन्धित नियमों का पालन वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया।

28– इसके साथ ही यदि हम अभियोजन द्वारा फर्द बरामदगी के परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षा को देखें तो उन्होंने घटना का समर्थन करते हुये साक्ष्य अंकित कराया है, किन्तु दौरान **जिरह पी०डब्लू० 1 वादी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि** हम लोगों ने अभियुक्त को सामान्य दिन के प्रकाश में देखा था। घटनास्थल भीड़भाड़ वाला स्थान है। तौलने वाला तराजू सामान्य पलड़े वाला था। गांजे की बोरी के सिवा अभियुक्त के पास से कोई वस्तु व रुपया पैसा नहीं मिला था। घटनास्थल पर टार्च व बिजली की रोशनी में फर्द लिखवाया था। जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। **पी०डब्लू० 2 उपनिरीक्षक राम कुमार वर्मा ने जिरह में कहा है** कि गवाही के लिये जनता के लोगों से कहा गया था लेकिन कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था। अभियुक्त के पास गांजे के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं मिली थी। **पी०डब्लू० 3 उ०नि० यशवन्त किर्णेन्द्र चौधरी ने जिरह में कहा है** कि घटना के समय कुछ लोग मौके पर आ गए थे। उनमें से किसी को मैं नहीं पहचानता हूँ। गांजे के अलावा उसके पास कुछ और बरामद नहीं हुआ था। हम लोगों के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। **पी०डब्लू० 5 विवेचक सेवानिवृत उपनिरीक्षक हवलदार यादव ने जिरह में कहा है** कि घटनास्थल पर मैंने किसी पब्लिक गवाह का बयान नहीं लिया था। माल के अलावा मुल्जिम के पास से और क्या मिला यह मुझे याद नहीं है। अभियोजन साक्षियों के कथन को देखा जाए, तो अभियुक्त के पास से गांजा के अलावा अन्य कोई वस्तु या रुपया पैसा बरामद नहीं हुआ था। फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त चार किलो पांच सौ ग्राम गांजा लेकर साधन का इंतजार कर रहा था। यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से पैसों की आवश्यकता होती है। विवेचक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की गयी है कि अभियुक्त गांजा कहां से लाया था तथा कहां लेकर जा रहा था, ये सभी तथ्य अभियोजन द्वारा कथित घटना को संदेहास्पद बनाता है। पत्रावली पर उपलब्ध सहमति पत्र प्रदर्श क –2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहमति पत्र पर केवल अभियुक्त तथा वादी के हस्ताक्षर मौजूद हैं, अन्य फर्द के साक्षीगण के कोई हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। यह सहमति पत्र को संदेहास्पद बनाता है कि उसे मौके पर ही तैयार किया गया है या कहीं अन्य स्थान पर।

29– यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि घटनास्थल तिलकपुर मोड़ के पास है तथा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर है, परन्तु न तो फर्द के साक्षीगण ने और न ही विवेचक ने किसी स्वतंत्र

साक्षीगण का बयान अंकित करने का प्रयास किया है। ऐसे में यह तथ्य भी घटना को संदेहास्पद बनाता है।

30– फर्द में यह उल्लिखित है कि फर्द लिखने के बाद उसकी नकल मौके पर ही अभियुक्त को दी गयी थी। इसका समर्थन फर्द के साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में भी किया है, परन्तु यदि कागज संख्या बी–11/3 को देखा जाये तो इसमें थाने में हवालात में दाखिला के समय अभियुक्त की जब जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये कपड़ों के अलावा उसके पास से अन्य कोई वस्तु बरामद न होने का उल्लेख है। थाने पर जामा तलाशी में फर्द बरामद न होने के तथ्य से भी अभियोजन कथानक संदिग्ध साबित होता है, क्योंकि यदि मौके पर फर्द की नकल दी गयी होती, तो वह थाने पर तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से बरामद होती।

31– उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय एन०डी०पी०एस० एक्ट के सुसंगत प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है, इसलिये अभियुक्त को संदेह के आधार पर आरोपित अपराध धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

32– अभियुक्त **राकेश यादव उर्फ खोइलन** को एन०डी०पी०एस० विशेष वाद संख्या–02/2018, मुकदमा अपराध संख्या–5140/2017, थाना – गिलौला, जनपद–श्रावस्ती के मामले में धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

33– अभियुक्त को आदेशित करने के पश्चात भी उसने धारा–437(ए) दं०प्र०सं० के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उसे निर्देशित किया जाता है कि वह जेल से रिहा होने के 15 दिन के अन्दर पूर्व आदेश के अनुपालन में धारा–437 (ए) दं०प्र०सं० मु० 30,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करें।

34– बाद मियाद अपील/अपील में पारित निर्णय के अधीन माल मुकदमाती गांजा नियमानुसार नष्ट किया जाये।

35– निर्णय/आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक को जरिए ई–मेल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक 11.06.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**

अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।

उपर्युक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 11.06.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**

अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।